फाइल सं. ए.12018/72/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में फार्मासिस्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिंनाक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में फार्मासिस्ट समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रुप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते है। manojkumar.upadhyay29@gov.in

मनोज 14/11/22

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि.................. राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, (फार्मासिस्ट), अराजपत्रित पद, भर्ती नियम, 2002 का, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में फार्मासिस्ट (समूह-ग) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ (फार्मासिस्ट) (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2022 है ।
   (2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आवेदन: ये नियम, नियमावली में संलग्न अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पद पर लागू होंगे।
3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि**- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, विवाह की संविदा की है,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति**- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
7. **व्यावृत्ति**- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
फार्मासिस्ट ।	01 * (2022) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-05 (29,200-92,300 रु.) ।	लागू नहीं होता ।	18-25* वर्ष के बीच * यदि पद को अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के माध्यम से भरा जा रहा है तो यह आयु 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्प्ण : आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्दाख, अदंमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ 10+2 उत्तीर्ण की हो। 2. फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा। 3. फार्मेसी एक्ट, 1943 के अंतर्गत फार्मासिस्ट के तौर पर पंजीकृत। वांछनीय:- किसी विख्यात अस्पताल में फार्मासिस्ट के पद पर 1 वर्ष का कार्य का अनुभव। टिप्पण 1. यदि उम्मीदवार अन्यथा सुयोग्य है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपने विवेक पर योग्यता में छूट दी जा सकती है। टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं)

					टिप्पण 2 :- रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नही होता ।	दो वर्ष ।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, प्रतिनियुक्ति द्वारा न किए जाने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	प्रतिनियुक्ति:- वे अधिकारी जो केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित पद पर पदस्थ है। (क) नियमित आधार पर समान पद अथवा (ख) (i) वेतन स्तर-4 (25500-81100 रु.) में	विभागीय प्रोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचार किए जाने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: 1. निदेशक - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष;	लागू नही होता ।

			पाँच वर्ष की नियमित सेवा; तथा (ii) सीधी भर्ती के लिए स्तंभ-7 के तहत सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पात्रता। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि केन्द्रीय सरकार के इसी संस्थान या संवर्ग बाह्य इस नियुक्ति की तुरंत पूर्व किसी प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की समाप्ति तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।	2 उप-निदेशक- क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य; 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी- क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य ।	

फा.सं. ए.12018/72/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार